UPAU010048672024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, औरैया।

उपस्थितः– **मयंक चौहान** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code U.P. 2011)

दीवानी पुनरीक्षण संख्या–19/2024

1–सन्तोष कुमारी पत्नी स्व0 दयाशंकर
2–पान सिंह पुत्र स्व0 दयाशंकर
निवासीगण मुहल्ला आर्यनगर नरायनपुर औरैया परगना व जिला औरैया।

.....पुनरीक्षणकर्तागण/वादीगण।

बनाम

1–सुमित सिंह तोमर पुत्र सरदार सिंह निवासी मुहल्ला आर्यनगर औरैया, परगना व जिला औरैया।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या–1

2–लालाराम
3–दयाशंकर
4–दयाराम
पुत्रगण स्व0 रामलाल निवासीगण ग्राम रूहेली पोस्ट बूढ़ादाना परगना व जिला औरैया।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण/मूल वाद के प्रतिवादीगण संख्या–2,3 व 4।

निर्णय

1– प्रस्तुत दीवानी पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा वाद संख्या 280/2013, सन्तोष कुमारी आदि बनाम सुमित सिंह तोमर आदि के मामले में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, औरैया के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.08.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 37ग स्वीकार किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 के द्वारा अकेले भाग लिया जा रहा है और अकेले का उत्तर पत्र प्रस्तुत है। बाकी प्रतिवादी जिन्हें तरतीवी कायम किया गया है, कभी उपस्थित नहीं आये हैं। प्रतिवादी यदाकदा ही न्यायालय में आता–जाता रहा है। मुकदमा व न्यायालय को कुछ नहीं समझता है। पत्रावली पर उत्तरपत्र दाखिल होने के दिन, बाद में व आदेश एकपक्षीय होने की दिनांक 11.02.2017 को भी कभी उपस्थित नहीं आया, न आवेदन देने के दिन दिनांक 19.09.2020 को हाजिर रहा, न ही बहस सुने जाने के दिन उपस्थित रहा था। पत्रावली पर पारित आदेश दिनांक 08.08.2024 में यह वर्णित है कि पत्रावली आदेश पेश हुई, लेकिन यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि बहस किस तारीख को सुनी गयी है। प्रार्थना पत्र 37ग में स्पष्ट वर्णन

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.04.07 14:33:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आया है कि वादीगण, प्रतिवादी से समझौता की बात करने लगे और प्रतिवादी ने आना बन्द कर दिया, जिसका कोई साक्ष्य मौके पर रिकॉर्ड में नहीं है। एक ही आवेदन में दो रिलीफ चाही गयी, जिसको दे पाने का कोई कानून नहीं है। सम्बन्धित न्ययालय ने मनमानी पर आधारित आदेश पारित करके विपक्षी को लाभ देकर अपूर्णनीय क्षति पुनरीक्षणकर्ता/वादी की है। पुनरीक्षणकर्ता/वादी ने 37ग के विरूद्ध 39ग विस्तृत आपत्ति देकर बहस की थी, सम्बन्धित न्यायालय ने आपत्ति के महत्वपूर्ण पैरा 2 व 4 का कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तारतम्य में आपत्ति के पैरा 6,7,8 के किसी भी कथन का वर्णन आदेश में न करके घोर कानूनी अनियमितता की गयी है। उक्त आदेश हो कायम रहने से विपक्षी संख्या दो, तीन व चार को भी कभी भविष्य में आकर उत्तरपत्र देने का अवसर सम्बन्धित न्यायालय ने देकर वाद के अन्तिम निस्तारण की परिधि में ला दिया है। अतः पुनरीक्षणकर्तागण का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाकर सम्बन्धित न्यायालय का आदेश दिनांकित 08.08.2024 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3— उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

4— पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 37ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद वादीगण द्वारा बैनामा निजाई दिनांकित 20.05.2013 मुसद्दिका रजिस्ट्री 21.05.2013 नविस्ता लालराम व दयाशंकर व दयाराम पुत्रगण स्व० रामलाल कोम मल्लाह निवासीगण ग्राम रूहेरी परगना व जिला औरैया मौसूमा सुमित सिंह तोमर पुत्र श्री सरदार सिंह कोम ठाकुर निवासी मुहल्ला आर्यनगर को शून्य घोषित कराने हेतु दायर किया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दिनांकित 30.09.2013 को दाखिल किया गया था। वाद वफात प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के लिए पैरवी हेतु वादीगण निर्देशित किया गया था, जिन पर तामीला दिनांक 05.11.2014 में पर्याप्त मानी गई। इसके बाद वाद बिन्दु विरचित किये गये एवं वाद बिन्दु संख्या 2 निस्ताारित किया गया तथा याचिका में संशोधन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2015 को अपनी आपत्ति दाखिल की गयी। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सुमित सिंह तोमर से समझौता की बातचीत चलने लगी। इस कारण पक्षकारान दिनांक 06.12.2016 व दिनांक 28.02.2017 तथा दिनांक 20.05.2017 को नहीं आये। प्रार्थी ने प्रतिवादी से यह कहा गया कि उसे बैनामा निजाई मंजूर, अब उसे मुकदमा नहीं चलाना। इस कारण प्रार्थी प्रतिवादी सुमित द्वारा मुकदमें में आना—जाना बन्द कर दिया, लेकिन वादीगण निहायत ही सर्कस व्यक्ति है। वह प्रतिवादी प्रार्थी झूठ बोलकर मुकदमें में आते रहे और दिनांक 01.11.2017 को मुकदमा एक पक्षीय करा लिया तथा बराबर एक पक्षीय साक्ष्य हेतु पत्रावली विचाराधीन रही पत्रावली दिनांक 25.02.2019 को जनपद न्यायाधीश, औरैया के आदेशानुसार अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन में भेजी गई, जिसकी कोई सूचना प्रार्थी को व उसके अधिवक्ता को

नहीं भेजी गई, जबकि जनरल रूल सिविल में यह प्राविधान है कि कोई भी पत्रावली यदि किसी दूसरे न्यायालय में अन्तरित की जाती है तो उसकी सूचना पक्षकारान को और उसके अधिवक्ता को दी जाती है, लेकिन मौजूदा वाद में कोई सूचना नहीं भेजी गई तथा वादी भी उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी का कब्जा दखल बैनामा के दिन से चला आ रहा है। जब उसने जुलाई में उक्त प्लाट पर तामीरात करने पर इरादा प्रकट किया तो वादी संख्या 2 पान सिंह द्वारा विरोध किया गया तथा यह कहा गया कि उसने मुकदमा एकपक्षीय करा लिया है, तो प्रार्थी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि जब उसकी और उनकी समझौते की बात हो गई थी, तब यह कार्यवाही क्यों की गई तो वादी पान सिंह द्वारा कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया लिहाजा प्रार्थी प्रतिवादी को वादी के निगाह में स्पष्ट बदनियति प्रतीत हुई और उसने दिनांक 28.07.2020 आदेश पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल की तो पला चला कि वादीगण द्वारा दिनांक 01.11.2017 से मुकदमा हाजा एकपक्षीय रूप से आदेश कराने के बाद चलाया जा रहा है, जबकि उससे पूर्व प्रार्थी व वादी पान सिंह में मौखिक रूप से समझौता हो गया था। आदेश दिनांक 01.11.2017 से प्रार्थी की शख्त हकतलफी व अपूर्णीय क्षति है तथा एक पक्षीय आदेश दिनांक 01.11.2017 की जानकारी प्रार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.07.2020 को प्राप्त होने के बाद हुई लिहाजा प्रार्थना–पत्र एक पक्षीय रिकॉल में हुई देरी अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अनुसार माफ होने योग्य है। शपथ–पत्र संलग्न है। अतः उपरोक्त देरी माफ करते हुए आदेश दिनांक 01.11.2017 रिकॉल किया जाकर प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5– वादी द्वारा प्रार्थना–37ग के विरुद्ध इस आशय आपत्ति 39ग प्रस्तुत की गयी है कि एक ही आवेदन में दो रिलीफ एक तो विलम्ब माफी के बावत, द्वितीय एकपक्षीय आदेश रिकॉल के बावत पोषणीयता के बिन्दु पर आवेदन प्रतिवादी पोषणीय नहीं है। सम्पूर्ण आवेदन में कब क्या हुआ का वर्णन प्रतिवादी ने किया है, जिसे किये जाने का कोई लाभ प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिवादी को हर हाल में आदेश एकपक्षीय 01.11.2017 को रिकॉल कराने के बावत एकपक्षीय हो जाने का कारण दर्शित करना चाहिए था। चूँकि आदेश दिनांक 01.11.2017 से चल रहा है और रिकॉल आवेदन दिनांक 19.09.2020 को लगभग तीन वर्ष बाद आया है, जिसका कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रतिवादी का आवेदन जनरल रूल सिविल के प्रावधान के नियम के विरूद्ध है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर हुयी पत्रावली की सूचना प्रतिवादी अधिवक्ता को 01.11.2017 के पेश्तर दी गयी थी। चूंकि प्रतिवादी ने आना बन्द कर दिया था तो वाद एकपक्षीय किया गया था। वादी एक महिला है। उसकी कोई बात प्रतिवादी से समझौता के बावत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वादिनी, प्रतिवादी को जानती–पहचानती नहीं है। आवेदक द्वारा अलग–अलग आवेदन दिये जावे, तभी धारा 5 का लाभ प्रतिवादी को प्राप्त गुणदोष पर होगा

अन्यथा नहीं होगा। आवेदन में न्यायशुल्क भी अपर्याप्त है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विधिक त्रुटिपूर्ण होने से पोषणीयता के आधार पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

6– विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र 37ग व उसके विरुद्ध आयी आपत्ति 39ग पर सुनवाई करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थना–पत्र 37ग प्रश्नगत आदेश दिनांकित 08.08.2024 स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दीवानी पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

7– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

8– पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र बिना किसी पर्याप्त व समुचित कारण के स्वीकार कर लिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा दर्शाया गया कारण विलम्ब को उपशमित कराने हेतु पर्याप्त था या नहीं।

9– प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्यक और सही है।

10– विलम्ब को क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में निर्णयज विधिक सिद्वान्तों का उल्लेख करना समीचीन होगा एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम में प्राविधान किया गया है कि ''कोई अपील या व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–21 में किये गये उपबन्ध के अन्तर्गत विर्निदिष्ट काल के पश्चात भी ग्रहण किया जायेगा, यदि आवेदक न्यायालय का समाधान कर दे कि ऐसे काल के अन्दर अपील या आवेदन न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।'' उक्त प्राविधान के अनुसार समुचित कारण दर्शाये जाने पर ही न्यायालय द्वारा विलम्ब उपशमित किया जायेगा।

11– धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त व समुचित कारण दर्शाया जाना आवश्यक है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायायल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए विलम्ब को उपशमित करने का आदेश पारित किया गया है, परन्तु विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को उपशमित कराने हेतु दर्शाया गया कारण पर्याप्त है या अपर्याप्त है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा मात्र यांत्रिक रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश विधि सम्मत न होने के कारण

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान व्यवहार पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 08.08.2024 निरस्त किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय का अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित न्यायालय इस निर्णय में किये गये सम्प्रेक्षण के आधार पर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक को उपस्थित हों।

व्यवहार पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये।

दिनांक–07.04.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–07.04.2026

(मयंक चौहान)
जनपद न्यायाधीश,
औरैया।